न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया, आर०ए०एस०

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र :– 01/2021 (56/2007)

प्रार्थी

1. सरकार जरिये तहसीलदार
परबतसर

अप्रार्थी

1. भंवर कंवर पत्नी प्रेमसिंह
2. मोहन कंवर पत्नी उगम सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी गूलर
तहसील परबतसर

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री अशोक पुरी अप्रार्थी की ओर से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

निर्णय

दिनांक: 06.09.2023

हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है–

1. हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण सं. रेफरेन्स/एल.आर./7449/2008 /नागौर सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर बनाम भंवर कंवर पत्नी प्रेमसिंह, मोहन कंवर पत्नी उगम सिंह जाति राजपूत निवासी गूलर तहसील परबतसर में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2021 के संदर्भ में रेफरेन्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया गया है कि स्पेशल अपील याचिका सं. 850/15 बउनवान रामकरण बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 RRT 2016 (1) [illegible] को ध्यान मे रखते हुए मौका स्थिति एवं सहायक अभियन्ता जल संसाधन [illegible] परबतसर के पत्र की पूर्ण जांच कर एंव उभयपक्ष को सुनते अगर आवश्यक हो तो [illegible] अभिशंषा के साथ पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:26 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण प्रति प्रेषित प्राप्त होने पर दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थी तहसीलदार परबतसर से माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 08.02.2021 के निर्देशानुसार वांछित रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार परबतसर ने पत्र क्रमांक /भू.अ./2023/4423 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन किया गया। जिसका सार संक्षिप्त निम्न प्रकार है " ग्राम शील भकरी का खसरा नं. 111 किस्म गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। मौके अनुसार वर्तमान में उक्त खसरे के आस–पास कोई भी नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं होने के कारण जल प्रवाह में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं हो रही है। उक्त खसरों मे लगातार वर्षो से काश्त की जा रही है।

3. यह है कि खसरा नं. 111 गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है लेकिन मौके पर नदी का प्रवाह नहीं है।

4. वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार पुराने खसरा नं. 111 को नया खसरा नं. 345, 346, 347 जो राजस्व ग्राम शील भकरी के खाता संख्या क्रमश 114 व 168 में दर्ज है। उक्त दोनों खातों में मिसल बन्दोबस्त सं. 2008 के अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण का नोट अंकित करवाया गया है।

5. माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 08.02.2021 के निर्देशानुसार सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर से वांछित सूचना प्राप्त की गई। उन्होने अपने पत्र क्रमांक/2023/03 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि :–

- भकरी बांध के निर्माण से पूर्व नदी का बहाव यहीं से होता था लेकिन भकरी बांध के निर्माण के बाद पानी का प्रवाह इधर से नहीं होता है।
- उक्त भूमि नदी के पुराने प्रवाह स्थल पर है।
- विवादित भूमि नदी का भाग है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

6. जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत हुआ जिसमें बताया गया कि प्रश्नगत भूमि कभी भी नदी का भाग नहीं थी ना ही आज मौके पर नदी का भाग है। तहसीलदार एवं सहायक अभियंता ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान में मौके पर नदी का कोई अस्तित्व नहीं है।

7. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी वकील अप्रार्थी ने बहस में न्यायिक दृष्टान्त D.B. Civil writ Petition No. 10384/2010 Decided on 09-03-2011 Director General Research & Development v/s State of Raj. ... जिसमें यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि "जब वास्तव में (भौतिक रूप में) ... आदि नहीं है, वहां अब्दुल रहमान का केस सामने नहीं आता।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

इसी संदर्भ में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय State of Raj. बनाम अल्ट्राटेक सीमेन्ट C.A. No. 5841/2022 का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भी मौके पर नदी नाला नहीं है तो अब्दुल रहमान का केस आडे नही आता है।

–:आदेश:–

प्रकरण के संपूर्ण विवेचन पश्चात निष्कर्ष है, कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर ना तो नदी है, ना ही जल संग्रहण क्षेत्र है, अपितु कृषि भूमि के उपयोग में आ रही है। अतः रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:26 IST
Reason: SelfAttested